सत्यमेव जयते

षोडश

बिहार विधान-सभा

पंचम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 25 फाल्गुन, 1938 (श0) / 16 मार्च, 2017 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 125

(1)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	..	..	19
(2)	नगर विकास विभाग	..	..	40
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	..	..	20
(4)	कृषि विभाग	..	..	14
(5)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	..	..	11
(6)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	..	..	14
(7)	सहकारिता विभाग	..	..	07
			कुल योग —	125

सामुदायिक भवन से सहकारिता कार्यालय हटाना

*1787. श्री तार किशोर प्रसाद--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत सहकारिता विभाग का जिला कार्यालय, कटिहार नगर के भेड़िया रेहिका मुहल्ला स्थित सामुदायिक भवन में चल रहा है, जिससे इस मुहल्ले के नागरिकों को मांगलिक एवं सामाजिक कार्यों में भारी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सामुदायिक भवन से कबतक सहकारिता कार्यालय हटाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण करना

*1788. श्री शमीम अहमद--क्या मंत्री, पशु मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के बंजरिया प्रखण्ड अन्तर्गत सेमरा पंचायत के सेमरा गाँव में 40 वर्षों से पशु अस्पताल कार्यरत है जो विगत 20 वर्षों से ध्वस्त हो चुका है, फलस्वरूप कर्मीगण को कार्य करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अस्पताल के भवन का कबतक नये सिरे से निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बीज बोनस दिलाना

*1789. श्री वशिष्ठ सिंह--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला बीज निगम, कुदरा द्वारा वर्ष 2015 में किसानों के लिए धान का बीच संग्रहण किया गया था तथा संग्रहित बीज के मूल्य के अतिरिक्त 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का प्रावधान था ;

(2) क्या यह बात सही है कि 60 प्रतिशत किसानों को बोनस मिल गया, लेकिन 40 प्रतिशत जमा किये गये बीज के किसानों का बोनस अभीतक निगम द्वारा नहीं दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष किसानों को बीज का बोनस देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क एवं पुलिया का निर्माण

*1790. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत नगर पंचायत घोघरडीहा स्थित एस0एच0 51 स्थित मछहटा से दिघिया टोल जाने वाली पथ तक पथ का निर्माण एवं उसमें दो अदद छोटे आकार के पुलिया का निर्माण नहीं होने से उसमानगंज (अल्पसंख्यक) मुहल्लावासियों को पानी में चलकर मुख्य सड़क तक आना पड़ता है, यदि हाँ, तो उक्त सड़क एवं पुलिया निर्माण हेतु सरकार की क्या योजना है ?

फसल क्षति का मुआवजा

*1791. श्री दिनेश चन्द्र यादव--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत सलखुआ, सिमरी-बख्तियारपुर, महिषी एवं बनमा-इटहरी में गत वर्ष बाढ़ (सितम्बर-अक्टूबर) में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई है, जिसका आकलन जिला कृषि पदाधिकारी ने भी कराया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला में फसल क्षति की मुआवजा राशि उपलब्ध रहने के बाद भी किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों के फसल क्षति का मुआवजा राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*1792. श्री प्रकाश वीर--क्या मंत्री, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत मेसकौर प्रखंड के पिदली (पथरी) गाँव वासियों को वर्ष में मात्र 6 माह ही खाद्यान्न मिलता है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

दवा की खरीद

*1793. श्री नन्द किशोर यादव--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के दो दर्जन जिले यथा पटना, बक्सर, भोजपुर, गया मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्णियाँ, सिवान, गोपालगंज में पशुओं के ईलाज के लिये दवा की खरीद नहीं की गयी है, जबकि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

लाभ नहीं देने का औचित्य

*1794. श्री विद्या सागर केशरी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अन्तर्गत फारबिसगंज विधान-सभा के जोगवनी नगर पंचायत के वार्ड संख्या पाँच एवं सात में रहने वाले महादलित परिवारों के पास जमीन का मलिकाना हक नहीं रहने के कारण हर घर शौचालय एवं अम्बेदकर शहरी आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, जबकि नगर पंचायत के द्वारा उक्त निवास करने वाले महादलितों से होल्डिंग टैक्स ली जाती रही है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

सड़कों का जीर्णोद्धार

*1795. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के मधुबनी नगर परिषद् क्षेत्र अन्तर्गत वाट्सन स्कूल, रेडक्रॉस, मधुबनी से स्टेडियम रोड एवं गाँधी चौक से सप्ता जानेवाली सड़क विगत 5 वर्षों से जर्जर अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़कों का कबतक जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

*1796. श्री (मो0) नेमतुल्लाह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम अन्तर्गत दक्षिणी अशोक नगर, रोड नं0 8ए (रामदेव मंदिर के बगल) के रास्ते पर स्थानीय लोगों के द्वारा विगत दो वर्षों से अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके कारण अगलगी जैसी दुर्घटना होने पर अग्निशामक वाहन का प्रवेश मुश्किल है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त रास्ता चौंगर रोड, रामलखन पथ और टेम्पो स्टैण्ड रोड का तिनमुहानी है, जिसके कारण प्रतिदिन भीषण जाम लगा रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दक्षिणी अशोक नगर, रोड नं0 8ए को अतिक्रमण मुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई करना

*1797. श्रीमती रेखा देवी--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी अनुमंडल स्थित वर्ष 2016 में माह मार्च से जुलाई तक का खाद्यान्न का वितरण तात्कालिक अनुमंडल पदाधिकारी के लापरवाही के कारण नहीं हो सका, जिससे उक्त अनुमंडल के गरीब कार्डधारी खाद्यान्न से वंचित रह गये, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित माह का खाद्यान्न वितरण कराने के साथ दोषी अनुमंडल पदाधिकारी के विरुद्ध कबतक कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कर्मचारी का पदस्थापन

*1798. श्री निरंजन कुमार मेहता--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत मुरलीगंज अंचल, ग्वालपाड़ा अंचल, बिहारीगंज अंचल एवं उदाकिशुनगंज अंचल में राजस्व हल्का कर्मचारी का पद वर्षों से रिक्त रहने के कारण वहाँ के किसानों सहित आम जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अंचलों में कबतक राजस्व हल्का कर्मचारी का पदस्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

क्रेडिट कार्ड वितरण

*1799. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर विधान-सभा के नबीनगर एवं बारून प्रखण्ड में किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण बैंकों द्वारा किया गया है, जिसमें वर्ष 2014 एवं 2015 में लक्ष्य का 40 प्रतिशत ही वितरण किया गया है, यदि हाँ, तो लक्ष्य से कम क्रेडिट कार्ड वितरण का क्या औचित्य है ?

औचित्य बताना

*1800. श्री नन्द किशोर यादव--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2015-16 में बिहार राज्य के किसानों के लिये सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हेतु 36 करोड़ रुपये आवंटित किया था, किन्तु राज्य सरकार ने मात्र 1.5 करोड़ रुपये ही खर्च किये तथा वर्ष 2016-17 में इस सिंचाई परियोजना हेतु 25 करोड़ का आवंटन दिया है, किन्तु अभीतक राज्य सरकार ने इस आवंटन कि विरुद्ध कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को नहीं भेजा है, यदि हाँ, तो इसका औचित्य क्या है ?

नाला का निर्माण

*1801. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बात सही है कि दरभंगा जिला के दरभंगा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डेनवी रोड, हसन चौक से एम0 आर0 एम0 +2 विद्यालय, राजकुमार गंज होते हुये पुअर होम तक, बेंता चौक से डी0 एम0 सी0 एच0 बच्चा वार्ड तक सड़कों की हालत अत्यंत जर्जर है एवं नाला निर्माण नहीं होने के कारण जल-जमाव की समस्या उत्पन्न हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपर्युक्त सड़क एवं सड़क के दोनों ओर नाला निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

डेयरी प्रोजेक्ट लगाना

*1802. डॉ0 विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के डोभी प्रखण्ड के अन्तर्गत सुधा डेयरी प्रोजेक्ट प्लांट लगाने की स्वीकृति वर्ष 2012 में मिली है तथा जमीन डोभी प्रखण्ड के ग्राम-बजीरा में उपलब्ध करा दिया गया है, परन्तु अबतक प्लांट नहीं लगाया है, यदि हाँ, तो सरकार स्वीकृत स्थान पर कबतक डेयरी प्रोजेक्ट लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति प्रारम्भ कराना

*1803. श्री सदानंद सिंह--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के गोराडीह प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-नदियामा एवं जयखुट में ग्रामीण जलापूर्ति योजनान्तर्गत दो वर्ष पूर्व ही बोरिंग एवं पाइप बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है, परन्तु अबतक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

कार्रवाई करना

*1804. श्री ललित कुमार यादव--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत मनीगाछी प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी (एम0ओ0) के विरुद्ध कालाबाजारी, अनियमितता एवं कर्तव्यहीनता से संबंधित पत्रांक 2091, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रपत्र (क) गठित किया गया है, लेकिन अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी (एम0ओ0) पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

चापाकल लगाना

*1805. श्री अचमित ऋषिदेव--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत गुणवत्ता प्रभावित टोलों में आई०आर०पी० के साथ 112 अदद् चापाकल 31 मार्च, 2012 तक अधिष्ठापित कराना था, जबकि जून, 2016 तक 43 चापाकल अधिष्ठापित किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार शेष 69 चापालक अधिष्ठापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल संकट का समाधान कराना

*1806. श्री (डॉ०) सुनील कुमार--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला मुख्यालय बिहारशरीफ के टिकुलीपर, देवीसरा, निमगंज, अड्डा पर में पेयजल संकट से जीवन त्रस्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त वर्णित महल्लों में उच्च प्रवाही नलकूप एवं पाइप लाइन विस्तार नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऊपर वर्णित महल्लों में उच्च प्रवाही नलकूप स्थापित कर एवं पाइप लाइन विस्तार कर पेयजल संकट समाधान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*1807. श्री राणा रणधीर--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रत्येक अन्त्योदय कार्डधारी को 20 किलो चावल 3 रुपये प्रति किलो ग्राम एवं 15 किलो ग्राम गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से तथा अन्य कार्डधारी को यूनिट के अनुसार राशन प्रतिमाह देने तथा ली गयी राशि का रसीद देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के फेनहरा प्रखंड अन्तर्गत परसौनी पंचायत के जन-वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा प्रतिमाह राशन का उठाव किया जाता है, परन्तु तीन माह के उपरान्त ही उपभोक्ताओं को राशन दिया जाता है तथा निर्धारित मात्रा से कम राशन एवं निर्धारित दर से अधिक पैसा लिया जाता है, साथ ही रसीद भी नहीं दिया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी जाँच कराकर कौन-सी कार्रवाई कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार का निर्माण

*1808. श्री विनोद कुमार सिंह--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला मनसाही प्रखण्ड अन्तर्गत बड़ी बथना गाँव के 5 हजार आबादी जलमीनार के अभाव में गंदा पानी पीने को विवश हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गाँव में कबतक एक जलमीनार स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि का मुआवजा दिलाना

*1809. श्री राम विशुन सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के अंचल पीरो अन्तर्गत पंचायत अगिआँव बाजार के जोबराडीह पहुँच पथ के लिये वर्ष 2012 में किसानों की 0.76 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है, परन्तु उक्त भूमि का मुआवजा अभीतक किसानों के बीच वितरित नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अधिग्रहण की गयी भूमि का मुआवजा कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डीजल अनुदान राशि का भुगतान

*1810. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग ने खरीफ 2015 में मॉनसून एवं रब्बी मौसम में भूमि में नमी की कमी को देखते हुये पूरे बिहार में सिंचाई के लिये ''डीजल अनुदान'' का प्रावधान किया था, जबकि 2015 से अबतक पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर तथा कोटवा प्रखण्ड के किसानों को डीजल अनुदान की राशि प्राप्त नहीं हो पायी है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

दोषी पर कार्रवाई

*1811. श्री संजय कुमार तिवारी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के बक्सर प्रखंड अन्तर्गत बक्सर शहर में निर्मित नाली एवं सड़क का पुनः मरम्मती एवं नवनिर्माण हेतु निविदा निकालकर सरकारी राशि की निकासी विगत दो वर्षों से कर ली जा रही है, जबकि वास्तविक रूप में मरम्मती एवं नवनिर्माण नहीं कराया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*1812. श्री रमेश ऋषिदेव--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर प्रखंड में गोला रोड के दक्षिण रामजयपाल पथ, अर्पणा बैंक कॉलोनी फेज-2 में रामबाबू सिंह के मकान के नजदीक से अम्बेदकर डेंटल कॉलेज तक एक वर्ष पूर्व नाला निर्माण के कारण सड़क पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है, जिससे आमजनता को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो उक्त सड़क के निर्माण हेतु सरकार की क्या योजना है ?

जलापूर्ति करना

*1813. श्री जिवेश कुमार--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड के सिंहवाड़ा उत्तरी एवं सिंहवाड़ा दक्षिणी तथा भरवाडा पंचायत में क्रमशः वर्ष 2010-11, 2013-2014 तथा 2014-15 से ही निर्मित पानी टंकी के पाइप लाइन को अभीतक नहीं बिछाया जा सका है, जिससे जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त पानी टंकी के पाइप लाइन को बिछाकर कबतक जलापूर्ति चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थापित करना

*1814. श्रीमती सावित्री देवी--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत चकाई विधान-सभा क्षेत्रान्तर्गत एक भी मिट्टी परीक्षण केन्द्र नहीं है जिससे किसानों को मिट्टी परीक्षण कराने हेतु काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार वहाँ मिट्टी परीक्षण केन्द्र कबतक स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार चालू करना

*1815. श्रीमती पूर्णिमा यादव--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के कौआकोल प्रखंड के ग्राम पंचायत मझिया के ग्राम-कोल्हुजाड में दो साल पहले जलमीनार बनकर तैयार हो गया, परन्तु अभीतक चालू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जलमीनार को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार का जीर्णोद्धार

*1816. श्री (डॉ०) संजीव चौरसिया--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना स्थित पाटलीपुत्रा इण्डस्ट्रियल एरिया स्थित 50,000 हजार गैलन क्षमता के जलमीनार से लोगों को जल की आपूर्ति हो रही है एवं विगत 15 वर्ष पूर्व बने इस जलमीनार का जीर्णोद्धार नहीं होने के अभाव में इसकी स्थिति काफी जर्जर हो गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जलमीनार का कबतक जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*1817. श्री नन्द कुमार राय--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर नगर पंचायत क्षेत्र में ''मोतीपुर शशि चौक से मो० अनस के आरा मील'' होते हुये स्टेट हाइवे 86 तक सड़क जर्जर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क को बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आपूर्ति निरीक्षक का पदस्थापन

*1818. श्री नरेन्द्र नारायण यादव--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा अन्तर्गत प्रखंड पुरैनी एवं प्रखंड चौसा में आपूर्ति निरीक्षक का पद वर्षों से रिक्त है, जिससे जन-वितरण प्रणाली के उचित मूल्य बिक्रेता को परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उपरोक्त दोनों प्रखंडों में कबतक आपूर्ति निरीक्षक का पदस्थापन करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण

*1819. श्री नीरज कुमार--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कुरसेला प्रखण्ड में पशु चिकित्सालय जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिससे पशुओं की चिकित्सा नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जर्जर भवन के स्थान पर नया पशु चिकित्सालय भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क-नाला का निर्माण

*1820. श्री राम विलाश पासवान--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत कहलगाँव नगर पंचायत में प्रताप नगर एवं आदर्श नगर में सड़क एवं नाला नहीं रहने के कारण वहाँ के आवासियों की आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नगर पंचायत में कबतक सड़क एवं नाला निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खाली कराना

*1821. श्री जितेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ बाजार समिति के प्रांगण में निर्मित दुकानों में नियम से हटकर गैर कृषि कार्य के रूप में दुकानों को लीज पर आवंटित किया गया है, जिससे कृषि संबंधित कार्य प्रभावित है, यदि हाँ, तो सरकार नियम के विरुद्ध दुकानों का आवंटन करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुये दुकानों को कबतक खाली कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*1822. श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर नगर पंचायत में नबीनगर थाना के नजदीक जिला परिषद् का डाकबंगला परिसर का एक एकड़ 08 डिसमील जमीन को 8-10 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त डाकबंगला परिसर को कबतक अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैंड का निर्माण

*1823. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ प्रमंडलीय मुख्यालय के बस स्टैंड से पश्चिमी बंगाल एवं पड़ोसी देश नेपाल के अलावा 450 से अधिक बसों का परिचालन प्रत्येक दिन होता है, जिससे जिला परिषद् को 53 लाख का सालाना आय होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पूर्णियाँ बस स्टैंड को पूर्ण विकसित कर अन्तर्राष्ट्रीय बस स्टैंड के रूप में परिवर्तित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि को भू-माफिया से मुक्त कराना

*1824. श्री राज कुमार राय--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत कुशेश्वरस्थान पूर्वी अंचल के मौजा सुधराईन थाना नं०-333, मौजा-महिसौथ उर्फ नरकटिया थाना नं०-332 एवं 254 सरकारी जमीन 158 एकड़ की नियम विरुद्ध भू-माफियाओं द्वारा खरीद-बिक्री की जा रही है जिसमें अंचल कार्यालय कर्मी भी संलिप्त है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भूमि को भू-माफिया से मुक्त कराकर जाँचोपरान्त संलिप्त कर्मचारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नल से जलापूर्ति

*1825. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत मनिहारी नगर पंचायत के वार्ड संख्या-2 में कोई जल स्रोत नहीं होने के कारण जलापूर्ति नहीं की जा रही है, जिससे उस वार्ड की जनता काफी परेशान हैं, यदि हाँ, तो सरकार वहाँ नल से जल आपूर्ति का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*1826. श्री केदार प्रसाद गुप्ता--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में कृषि यांत्रिकीकरण से संबंधित अनुदान राशि उपलब्ध होने के बावजूद आपूर्तिकर्ता प्रतिष्ठान या किसान को अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अनुदान की राशि किसानों को देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशन कार्ड बनाना

*1827. श्री अशोक कुमार चौधरी--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के काँटी विधान-सभा क्षेत्र में वर्ष 2004 के जनगणना के अनुसार राशन कार्ड बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे गरीब परिवारों का राशन कार्ड नहीं बन पाया है, यदि हाँ, तो सरकार राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया की जाँच कराकर छूटे हुये परिवारों के नाम से राशन कार्ड बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अंचल स्थानान्तरित करना

*1828. श्री आनन्द शंकर सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नगर परिषद् औरंगाबाद का वार्ड नं० 4 का अंचल कार्य देव अंचल से सम्पादित होता है, जिसकी दूरी 22 कि०मी० है तथा देव अंचल की दूरी ज्यादा होने से वार्ड 4 के निवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्ड 4 को देव अंचल से औरंगाबाद अंचल स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मत्स्यपालन हेतु विकास

*1829. श्री प्रभुनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के चरपोखरी प्रखण्ड, गड़हनी प्रखण्ड एवं अगियाँव प्रखण्ड अन्तर्गत कुल 3 सरकारी तालाबों को मत्स्यपालन हेतु विकसित नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित प्रखण्डों के तालाबों में मत्स्यपालन एवं पानी भरने के लिये उपकरणों की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन का सर्वे कराना

*1830. श्री प्रहलाद यादव--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के पिपरिया प्रखंड के मौजा-मानपुर, अजीजपुर पिपरिया एवं मौजा-पथुआ की जमीन का सर्वे आजतक नहीं हुआ है तथा टौपो श्रेणी में आने से वहाँ के किसानों को सरकार द्वारा कोई भी सुविधा नहीं प्राप्त होता है, यदि हाँ, तो सरकार टौपो जमीनों का कबतक सर्वे करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति करना

*1831. श्री सरफराज आलम--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अन्तर्गत जोकी हाट प्रखण्ड के जोकी हाट प्रखण्ड मुख्यालय में 5 वर्ष पूर्व शुद्ध पेय जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत पानी टंकी का निर्माण एवं पाइप लाइन का कार्य हो चुका है, परन्तु जलापूर्ति अबतक शुरू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

बदोबस्ती की जाँच

*1832. श्री रामचन्द्र सहनी--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत सुगौली प्रखण्ड के फुलवरिया पंचायते के सपहेरिया गाँव में सड़क के किनारे सरकारी भूमि खाता नम्बर, 432, खेसरा नम्बर-3256 पर 50 वर्षों पूर्व से निर्धन व्यक्ति घर बनाकर अपना जीवन-यापन करते आ रहे हैं, जिसका बन्दोबस्त गलत तरीके से सुगौली अंचल कार्यालय से करा लिया गया है, यदि हाँ, तो उक्त बन्दोबस्ती को जाँच कर रद्द कराने हेतु सरकार कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*1833. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर नगर परिषद् के गोला रोड से सेन्ट कैरेंस हाईस्कूल कम्पलेक्स जानेवाली रोड से दक्षिण तरफ श्री सिंगेश्वर झा के घर के आगे से जानेवाली सड़क मात्र 200 मीटर बना हुआ है और उसके आगे डॉ० आर०के० सिंह, अधिवक्ता के घर तक लगभग 100 (एक सौ) मीटर कच्ची सड़क में सालों भर पानी भरा रहता है, जिसके कारण आवागमन बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का निर्माण कबतक कराकर आवागमन चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नवनिर्मित बस पड़ाव से वाहन का परिचालन

*1834. श्री तार किशोर प्रसाद--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या--

(1) यह बात सही है कि कटिहार में लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से उदामारखा के निकट सभी सुविधाओं से युक्त बस पड़ाव का केन्द्रीयकृत उद्घाटन दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 को किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बसों एवं व्यवसायिक वाहनों का परिचालन नवनिर्मित बस पड़ाव से नहीं होकर लोक नायक जे०पी० चौक एवं अमर जवान चौक (मनिहारी मोड़) के पास से हो रहा है, जिससे यात्रियों एवं नागरिकों को यातायात में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त नवनिर्मित बस पड़ाव से बसों एवं व्यवसायिक वाहनों का परिचालन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशन उपलब्ध कराना

*1835. श्री रामप्रीत पासवान--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के राजनगर प्रखण्ड के भटसिमर पूर्वी पंचायत के वार्ड नं० 10 एवं 11 टोला लड्डूगाँव में एक वर्ष पूर्व उपभोक्ता को राशन कार्ड दिया गया है, परन्तु उक्त राशन कार्डधारी को राशन नहीं दिया जा रहा है, तो सरकार उक्त कार्डधारियों को कबतक राशन देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबन्दी कराना

*1836. श्री नीरज कुमार--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बरारी, कुरसेला एवं समेली प्रखण्ड में कृषि फार्म की घेराबन्दी नहीं होने से अवांछित तत्व एवं जानवरों का विचरण होता रहता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कृषि फार्म की कबतक घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाभ न मिलने का औचित्य

*1837. श्री विद्या सागर केशरी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के फारबिसगंज नगर परिषद् के वार्ड संख्या एक नौ एवं अठारह में आवासित मलिन बस्ती की जनता द्वारा होल्डिंग टैक्स देने के बावजूद केन्द्र प्रायोजित योजना एवं राज्य की विभागीय योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है, यदि हाँ, तो उक्त वर्णित वार्डों के मलिन बस्तियों को वर्णित योजनाओं का लाभ नहीं मिलने का क्या औचित्य है ?

औचित्य बताना

*1838. श्री राहुल तिवारी--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार की विभागीय परिपत्र सं० 1699, दिनांक 12 सितम्बर, 1977 में स्पष्ट है कि एक बार संबंधित सैरात का डाक हो जाने पर उसी राशि पर सक्षम मछुआरा सहयोग समिति को तीन वर्षों के लिये बन्दोबस्ती देती है, ऐसी स्थिति में शर्तों को पूरा करने वाले सहयोग समिति की आगामी बंदोबस्ती के दौरान जमानत की राशि नहीं दी जाती है;

(2) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत सुहिया, भागड़ की सैरात की जमीन का बंदोबस्ती राजस्व विभाग द्वारा वर्ष 2012-14 में की गयी है, परन्तु सैरात की जमीन को मछुआरा सहयोग समिति को नहीं दिया जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त सैरात की जमीन की बंदोबस्ती मछुआरा सहयोग समिति को अभीतक नहीं देने का क्या औचित्य है ?

आवेदन पर निर्णय

*1839. श्री नितिन नवीन--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में बिल्डिंग बाईलॉज 2014 से लागू है जिसके तहत किसी आवेदक द्वारा मकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण हेतु नक्शा पास कराने के लिये नगर निगम को दिये गये आवेदन की तिथि से 60 दिनों के अन्दर नक्शा पास करना है;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम में अगस्त, 2015 से नक्शा पास कराने की प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात् नवम्बर, 2016 तक नक्शा पास कराने हेतु कुल 478 आवेदन प्राप्त हुये जिसके विरुद्ध मात्र 125 आवेदकों के ही नक्शे की स्वीकृति दी गयी तथा 25 आवेदन रद्द किये गये हैं, 325 आवेदन पर अबतक कोई निर्णय नहीं लिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो पटना नगर निगम द्वारा खण्ड (2) में वर्णित शेष आवेदकों के आवेदन को लम्बित रखने का क्या औचित्य है ?

अतिक्रमण मुक्त करना

*1840. श्री अरूण कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कंकड़बाग के अशोक नगर स्थित रामदेव मंदिर से चाँगड़ होते हुये न्यू बाईपास तक जानेवाली सड़क की चौड़ाई मात्र 16 फीट है और वह भी अतिक्रमित है, यदि हाँ, तो सरकार खण्ड (1) में वर्णित सड़क को कबतक अतिक्रमण मुक्त करने तथा इसकी चौड़ाई बढ़ाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

*1841. श्री नरेन्द्र नारायण यादव--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला अन्तर्गत प्रखण्ड पुरैनी में विगत कई वर्षों से प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी का पद रिक्त है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

चापाकल गड़वाना

*1842. श्री अमीत कुमार--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत रीगा, सुप्पी एवं बैरगनियाँ प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में विधायक के अनुशंसा के तहत चापाकल गाड़ा गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चापाकल को 215 से 225 फीट गाड़ना था लेकिन 100 से 125 फीट तक ही गाड़ा गया है जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई एवं प्राक्कलन के अनुसार 215 से 225 फीट तक उक्त चापाकलों को गड़वाने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा का भुगतान

*1843. श्री मिथिलेश तिवारी--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला में निर्माणाधीन सड़क एस0 एच0 90 परियोजना का कार्य अब गोपालगंज में लगभग 30 प्रतिशत ही शेष है, इसके बावजूद भू-अर्जन से प्रभावित अधिकांश किसानों को अबतक मुआवजा नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों को निर्धारित मुआवजा का पूर्ण भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रास्ता उपलब्ध कराना

*1844. श्री दिनेश चन्द्र यादव--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि महादलित परिवार को अपने टोले से निकलने का कोई रास्ता (सड़क) नहीं रहने पर जमीन अधिग्रहित कर उसे रास्ता देने की योजना सरकार की है;

(2) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर प्रखण्ड के सरडीहा पंचायत में राम टोला (करझैल) के महादलित परिवार को घर से निकलने का रास्ता नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राम टोला (करझैल) के महादलित परिवार को जमीन अधिग्रहित कर रास्ता (सड़क) उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति प्रारम्भ कराना

*1845. श्री नन्द कुमार राय--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर नगर पंचायत के वार्ड नं0 4, हरपुर, जुनेदा में वर्ष 2009-10 में जलापूर्ति योजना के तहत जलमीनार का निर्माण कराया गया, परन्तु जलापूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाने का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसके कारण उक्त जलमीनार से आजतक जलापूर्ति चालू नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराते हुये जलापूर्ति प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध शीतक केन्द्र स्थापित करना

*1846. श्री लक्ष्मेश्वर राय--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लौकही प्रखण्ड मुख्यालय में दुग्ध शीतक केन्द्र नहीं रहने के कारण सहकारी समितियों में दूध देने वाले पशुपालकों का दूध फट जाता है, जिसके कारण पशुपालकों को काफी आर्थिक क्षति हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्ड में दुग्ध शीतक केन्द्र कबतक स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल की आपूर्ति

*1847. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत फुलपरास प्रखण्ड में अवस्थित ग्रामीण जलापूर्ति योजना सिसवा, बरही एवं फुलपरास में निर्मित जलमीनार से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

दोषी पर कार्रवाई

*1848. श्री (डॉ0) विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखण्ड में चेरकी पैक्स के वर्ष 2015-16 में चुने हुये अध्यक्ष एवं सदस्यों को जिला सहकारिता पदाधिकारी, गया एवं संयुक्त निबंधक द्वारा हटा दिया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि चेरकी पैक्स का उप-चुनाव वर्ष 2016 में पुनः हुआ है, परन्तु 2016-17 में पुनः निर्वाचित पैक्स अध्यक्ष को कार्य करने से रोक दिया गया है, यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अवधि में निर्वाचित अध्यक्ष एवं पैक्स को कार्य करने का अवसर देते हुये दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1849. श्री राजेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि अंचल कार्यालय भवनहीन है, यदि हाँ, तो उक्त भवन बनाने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

नाला का निर्माण

*1850. श्री बृज किशोर बिन्द--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत फुलवारी प्रखण्ड स्थित ग्राम-पकरी में जिला संचालन समिति द्वारा नवम्बर, 2013 में अनुमोदित उद्योग सहकारी गृह निर्माण समिति स्थित रोड नं0 2 का निर्माण डुडा 2 द्वारा वर्ष 2014 में किया गया है, परन्तु समिति द्वारा उक्त रोड के साथ अनुमोदित नाला का निर्माण अभीतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त निर्मित रोड के साथ नाला का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच प्रयोगशाला खोलना

*1851. श्री अमीत कुमार--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत रीगा, सुप्पी एवं बैरगनिया प्रखण्डों में से किसी भी प्रखण्ड में मिट्टी जाँच प्रयोगशाला नही रहने के कारण इन प्रखण्डों के अन्तर्गत किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्डों में कबतक मिट्टी जाँच प्रयोगशाला खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सालय स्थापित करना

*1852. श्री प्रहलाद यादव--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के पिपरिया प्रखण्ड के पिपरिया पंचायत में एक भी पशु चिकित्सालय नहीं है, जिसके अभाव में लोगों को अपने पशुओं की चिकित्सा हेतु बडहिया या जिला पशुपालन अस्पताल जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्ड में पशु चिकित्सालय कबतक स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भू-अर्जन की कार्रवाई

*1853. श्री प्रमोद कुमार--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 5 फरवरी, 2017 को प्रकाशित शीर्षक ''महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिये भू-अर्जन में रोड़ा'' के आलोक में क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के मुफस्सिल मोतिहारी थाना अन्तर्गत चंद्रहिया पंचायत के अधीन बनकट, फुरसतपुर, बैरिया मौजे में 301.97 एकड़ भूमि अधिग्रहण महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय हेतु किया जाना है, परन्तु तकनीकी कारणों से अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारम्भ नहीं हो सकी है, यदि हाँ, तो सरकार भू-अर्जन में कबतक, रोड़ा समाप्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अधिकार दिलाना

*1854. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय--क्या मंत्री, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट एवं पंचदेवरी प्रखंड में 60 प्रतिशत आबादी सामाजिक, आर्थिक, जनगणना में गड़बरी के कारण खाद्य सुरक्षा अधिकार से अभीतक वंचित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में आर्थिक, सामाजिक जनगणना में सुधार कराकर वास्तविक गरीब एवं असहाय को खाद्य सुरक्षा अधिकार दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बताना

*1855. श्री संजय कुमार तिवारी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के बक्सर शहर में वाटर सिवरेज प्लांट बनाने हेतु वर्ष 2013-14 में सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी जो आज भी अपूर्ण स्थिति में है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

भू-अभिलेख उपलब्ध कराना

*1856. श्री भाई वीरेन्द्र--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक 6/मु0सु0, पंचायत 22/2001-632 रा०, दिनांक 22 सितम्बर, 2001 के कंडिका ८ में भू-अभिलेखों की एक प्रति ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत नौबतपुर प्रखण्ड स्थित आम जनता को मालगुजारी/दाखिल-खारिज/एल०टी०सी० इत्यादि कार्यों के लिये अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक वर्णित अंचल के सभी ग्राम पंचायतों में भू-अभिलेख की एक प्रति उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निबंधन का औचित्य

*1857. श्री सरोज यादव--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि आरा नगर स्थित चर्च की जमीन को वर्ष 2016 में नियम विरुद्ध रजिस्ट्री की गयी है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

नगर निगम क्षेत्र में समाहित करना

*1858. श्री केदार प्रसाद गुप्ता--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला नगर निगम के बगल के क्षेत्र भगवानपुर, गोवरसदी, मधौलिवितल, खबड़ा सुस्ता माधोपुर सहित दर्जनों गाँव नगर निगम में रखने हेतु सभी अहर्ताएँ पूरी करती है, यदि हाँ, तो इन्हें नगर निगम क्षेत्र में समाहित नहीं करने का क्या औचित्य है ?

कार्रवाई करना

*1859. श्री प्रमोद कुमार--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के चकिया नगर पंचायत के वर्तमान कार्यपालक पदा0 द्वारा मोतिहारी नगर परिषद् के कार्यपालक पदा0 के रूप में कार्य करने के दौरान की गई वित्तीय अनियमितता की जाँच वित्तीय वर्ष 2016-17 में करने के बाद आरोप गठित किया गया है तथा उक्त आलोक में नगर परिषद् के स्थानीय समिति द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, परन्तु अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

सिवरेज का पुनर्निर्माण

*1860. श्री महबूब आलम--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1971 में भारत-पाक युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवा व अपंग सैनिकों के लिये कंकड़बाग, पटना क्षेत्र में डिफेंस कॉलोनी का निर्माण कराकर फ्लैट आवंटित किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुराने होने के वजह से उक्त डिफेंस कॉलोनी मुहल्ले के पथ संख्या 1 के फ्लैट नं0 1 से 300 तक का सिवरेज सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, जिसके चलते मल, गंदा जल खुले में बहता रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त डिफेंस कॉलोनी (कंकड़बाग) पटना के नष्ट हुये सिवरेज सिस्टम का पुनर्निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अंचलाधिकारी का पदस्थापन

*1861. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के पूर्णियाँ पूर्व अंचल के अंचलाधिकारी का पद पिछले एक साल से रिक्त है, जिसके कारण विकास का कार्य बाधित हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित अंचल में कबतक अंचल पदाधिकारी का पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राज्य खाद्य निगम का गोदाम बनाना

*1862. श्रीमती अरूणा देवी--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला अन्तर्गत काशीचक प्रखण्ड में राज्य खाद्य निगम का गोदाम नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि काशीचक प्रखण्ड के दुकानदारों को 20 कि0 मी0 दूर स्थित वारिसलीगंज के गोदाम से जन-वितरण का अनाज का उठाव करना पड़ता है, जिस कारण अनाज का समय पर उठाव नहीं हो पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार काशीचक प्रखण्ड में राज्य खाद्य निगम का गोदाम बनाकर जन-वितरण प्रणाली के विक्रेताओं से अनाज उठाव करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कृषि ज्ञान केन्द्र खोलना

*1863. श्री (डॉ0) मेवालाल चौधरी--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार के प्रत्येक जिले में ''कृषि विज्ञान केन्द्र'' स्थापित है, लेकिन अनुमंडल एवं प्रखण्ड स्तर पर किसानों के लिये कोई भी इस तरह का ज्ञान केन्द्र नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार प्रखण्ड स्तर पर कृषि ज्ञान केन्द्र खेलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*1864. श्री (डॉ0) रामानुज प्रसाद--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत नगर निगम वार्ड नं0 2 में एम0 एस0 मेमोरियल स्कूल से राजीव नगर की ओर जानेवाली नहर की उड़ाही नहीं होने के कारण जल-जमाव रहता है, जिससे आमलोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नहर (पईन) में पक्का नाला का निर्माण कराकर जल-जमाव से मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल की आपूर्ति

*1865. श्री अशोक कुमार चौधरी--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के काँटी विधान-सभा क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में 10 (दस) जलमीनार बनकर तैयार हो चुका है, परन्तु उक्त नवनिर्मित जलमीनार से पेयजल की आपूर्ति नहीं की जा रही है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

पेयजल उपलब्ध कराना

*1866. श्री (डॉ0) सुनील कुमार--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला अन्तर्गत रहुई प्रखण्ड के हुसैनपुर, कादीविगहा, पैठना गाँवों में गम्भीर पेयजल संकट के कारण जनजीवन त्रस्त है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित गाँवों में उच्च प्रवाही नलकूप के साथ पाइप विस्तार कर कबतक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाम की समस्या से निजात

*1867. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी नगर पंचायत पुपरी बाजार में एक ही मुख्य सड़क है, जहाँ लगातार जाम की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो नागरिकों को जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

लाईसेंस रद्द करना

*1868. श्री सरोज यादव--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत परिवहन हथालन-सह-आपूर्ति अभिकर्ता(डी०एस०डी०) का टेण्डर मेसर्स इंद्राशन कन्स्ट्रक्शन एण्ड सर्विस प्रा०लि० को दिया है, जिसने रिश्तेदारों के नाम की सम्मत्ति को अपने नाम से दिखाकर टेण्डर प्राप्त किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अभिकर्ता का प्रभात राईस मिल चरपोखरी का मिलर है जबकि सरकारी प्रावधान के अनुसार मिलर को टेण्डर नहीं देना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त टेण्डर को स्वीकृत करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने एवं एजेन्सी का लाईसेंस रद्द करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनाज के गुणवत्ता में सुधार

*1869. श्री प्रकाश वीर--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत रजौली, सिरदला एवं मेसकौर प्रखंड में खाद्यान्न योजनान्तर्गत दिये जाने वाले आनाज की गुणवत्ता काफी घटिया स्तर की है, जिसकी शिकायत उपभोक्ताओं द्वारा जनवरी, 2017 को जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में की गयी थी, यदि हाँ, तो क्या सरकार अनाज के गुणवत्ता में सुधार करने का विचार रखती है ?

गोदाम में अनाज रखना

*1870. श्री (डॉ०) शकील अहमद खाँ--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत डण्डखोरा प्रखंड के महेशपुर पंचायत के पहाड़पुर गाँव के समीप लाखों की लागत से अनाजों के भंडारण हेतु गोदाम का निर्माण किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गोदाम को संवेदक द्वारा विभाग को अभीतक नहीं सौंपा गया है जिससे गोदाम में अनाज नहीं रखे जा रहे है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त गोदाम को विभाग को सौंपने की कार्रवाई करते हुये गोदाम में अनाज रखने की कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति हेतु पाइप लगाना

*1871. श्री रामसेवक सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना शहरी क्षेत्र अन्तर्गत कंकड़बाग के पूर्वी इन्दिरा नगर रोड नं० 1 के गली नं० 1 में आजतक पानी का पाइप नहीं लगाया गया है, जिससे उक्त गली में जलापूर्ति नहीं होने के कारण गली के लगभग 500 की आबादी को जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गली में कबतक जलापूर्ति हेतु पाइप लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*1872. श्री जितेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के बागवानी राष्ट्रीय सब्जी प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु लगभग 5 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रति एकड़ 9 हजार रुपये जैविक उत्पादन वैसे कृषक जो समूह में सब्जी की खेती करते हैं, उन्हें भुगतान किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सहायक निदेशक, उद्यान, नालंदा के द्वारा डीलर के साथ मिलकर वैसे कृषक जिन्हें सब्जी की खेती से कोई नाता नहीं है, नौ हजार रुपये का भुगतान कर राशि की ठगाही की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य कराना

*1873. श्री मुन्द्रिका सिंह यादव--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के जहानाबाद नगर परिषद् के वार्ड संख्या 6 में नाली एवं पी० सी० सी० का निर्माण नहीं होने से आम जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उक्त कार्य के लिये 7,50,000 (सात लाख पच्चास हजार) रु० का प्राक्कलन तैयार कर नगर परिषद् जहानाबाद को समर्पित कर दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रश्नाधीन कार्य को कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक ?

साफ-सफाई की व्यवस्था

*1874. श्री हेम नारायण साह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के महाराजगंज प्रखंड अन्तर्गत आदर्श मध्य विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं इन्डोर स्टेडियम, महाराजगंज के बीचोंबीच महादलित (बासफोर) अतिक्रमण कर अपना डेरा जमायें हुये हैं जिसके के कारण वहाँ बहुत अधिक गंदगी फैली हुई है जिसके कारण जन-जीवन प्रभावित हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त महादलितों के लिये साफ-सफाई, शौचालय आदि की व्यवस्था करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

एन०ओ०सी० दिलाना

*1875. श्री अशोक कुमार--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला कल्याण विभाग द्वारा महादलितों के टोले में सामुदायिक भवन बनाने हेतु तिलौथू अंचलाधिकारी एवं सासाराम अंचलाधिकारी से 6 माह से अधिक दिनों से एन०ओ०सी० माँगा गया है, लेकिन आजतक अंचलाधिकारी द्वारा एन०ओ०सी० नहीं दिया गया है, जिससे विकास प्रभावित हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार एन०ओ०सी० दिलाने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

ऋण उपलब्ध कराना

*1876. श्री (मो०) नवाज आलम--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत आरा विधान-सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2016-17 में अभीतक आरा प्रखण्ड में पशुपालन के लिये समग्र गव्य विकास योजनान्तर्गत ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार आरा प्रखण्ड के लोगों को पशुपालन हेतु ऋण उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

*1877. श्री अभय कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पटना शहर स्थित वार्ड नं० 22 (ए०) मखदुमपुर बगीचा स्थित गंगा गेट नं० 89 के सामने गाँधी मैदान-दीघा मुख्य सड़क से 200 मीटर लम्बी एवं 5 फीट चौड़ी गली राजीवनगर मुहल्ला को जोड़ती है, स्थानीय लोगों द्वारा उक्त गली पिछले दो वर्षों से बन्द कर दिया गया है, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गली को कबतक अवरोध मुक्त कर चौड़ीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी के विरुद्ध कार्रवाई

*1878. श्री मदन मोहन तिवारी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिला मुख्यालय बेतिया स्थित नजरबाग पार्क का उद्घाटन 15 अगस्त, 2016 को किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उद्घाटन के महज सात माह बाद पार्क के लाइट, फब्बारें खराब हो गये हैं तथा कुर्सियाँ एवं झूला टूट गये हैं, जिसके कारण पार्क परिसर का अस्तित्व समाप्त हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पार्क निर्माण में लगी घटिया सामग्री की जाँचकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये पार्क परिसर में पर्याप्त संसाधन की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला की सफाई

*1879. श्री नितिन नवीन--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम स्थित कई बड़े नाले जैसे बाकरगंज नाला, मंदिरी नाला, आनन्दपुरी नाला, पटेल नगर नाला पर कई जगहों पर अतिक्रमण कर लोग बस गये अथवा अपना दुकान खोल दिये हैं, जिसके कारण नाला नीचे धंस गया है तथा गन्दा पानी नहीं निकल पा रहा है, फलस्वरूप गन्दगी बढ़ रही है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त नालों को अतिक्रमण से मुक्त कर नालों की सफाई की व्यवस्था करना चाहती है, हाँ, तो कबतक ?

जलमीनार का निर्माण

*1880. श्री (मो०) आफाक आलम--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखण्ड के गुड़ी पंचायत के जियनगंज गाँव में जलमीनार नहीं होने से लोहयुक्त पानी आम जनता पीने के लिये विवश है, यदि हाँ, तो सरकार गुड़ी पंचायत में जलमीनार का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बीमा राशि का वितरण

*1881. श्री राजेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि प्रखंड में वर्ष 2014-15 के रब्बी फसल बीमा की राशि सरकार के द्वारा नियुक्त कर दिया गया है, परन्तु किसानों को राशि का वितरण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार राशि का वितरण कबतक किसानों को करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि रब्बी 2014-15 मौसम में राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा योजना के तहत पूर्वी चम्पारण जिला के हरसिद्धि प्रखंड में 7,790 ऋणी किसानों के लिये 9,31,44,236.50 रु० (नौ करोड़ एकतीस लाख चौवालीस हजार दो सौ छत्तीस एवं पचास पैसा) क्षतिपूर्ति अनुमान्य हुआ है। उक्त योजना को कार्यान्वित करने वाली बीमा कम्पनी एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी बैंक ऑफ इंडिया लि० द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त सभी लाभान्वित ऋणी किसानों के लिये अनुमान्य क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान संबंधित बैंकों को कर दिया गया है एवं संबंधित बैंकों के द्वारा लाभान्वित ऋणी किसानों के खाते में उन्हें अनुमान्य क्षतिपूर्ति राशि हस्तान्तरित की जा चुकी है।

पुनः उक्त प्रखंड में 1,669 गैर-ऋणी बीमित किसानों को भी 2,73,27,169.42 रु०(दो करोड़ तिहत्तर लाख सताईस हजार एक सौ उनहत्तर एवं बेयालीस पैसा) क्षतिपूर्ति अनुमान्य हुआ है । चूँकि गैर-ऋणी किसानों का बीमा उनके भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (एल०पी०सी०) के आधार पर होता है एवं बीमा कंपनी को निदेश है कि पूरी तरह जाँचोपरान्त लाभान्वित के खाते में क्षतिपूर्ति हस्तांतरित कराना सुनिश्चित करेंगे, बीमा कंपनी द्वारा सूचित किया गया है कि लाभान्वित गैर-ऋणी किसानों के भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र का सत्यापन प्रक्रिया अन्तर्गत है । उक्त के सत्यापन उपरांत शीघ्र क्षतिपूर्ति राशि लाभान्वित गैर-ऋणी किसानों के खाते में हस्तांतरित की जा सकेगी ।

जमीन का अधिग्रहण

*1882. श्री सत्यदेव राम--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला में जमीन के अभाव में सीवान केन्द्रीय विद्यालय के भवन का निर्माण एवं दरौली प्रखण्ड में स्टेडियम का निर्माण लम्बित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रस्तावित योजनाओं के लिये जमीन का अधिग्रहण कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

चापाकलों की मरम्मती

*1883. श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिला के सिकन्दरा प्रखंडान्तर्गत विभाग द्वारा लगाये गये अधिकांश चापाकल खराब पड़े हुये हैं, जिससे आमजनता को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड के बन्द पड़े चापाकलों की मरम्मती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पानी की व्यवस्था

*1884. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत नौहट्टा प्रखंड के दो पंचायत-परछा एवं तिलोखर में पीने का पानी नहीं है, गर्मी के दिनों में जलस्तर 200 से 300 फीट नीचे चला जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दोनों पंचायतों के ग्रामीण गर्मी के दिनों में पानी टैंकर से मंगवाकर पीते हैं, फिर भी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पीने के पानी की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सक का पदस्थापन

*1885. श्री निरंजन कुमार मेहता--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत मुरलीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत वार्ड नं० 9 रजनी में वर्ष 1963 में स्थापित पशु चिकित्सालय वर्ष 1989 तक संचालित होता रहा है, जिसका जर्जर भवन अभी भी अवस्थित है एवं इसके बाद इस चिकित्सालय में न तो किसी चिकित्सक की पदस्थापन हुई और न ही वहाँ के पशुपालकों एवं किसानों के पशु की चिकित्सा की वैकल्पिक व्यवस्था की गई यदि हाँ, तो सरकार उक्त पशु चिकित्सालय में कबतक पशु चिकित्सक की पदस्थापना करते हुये इसे पुनः संचालित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारी का पदस्थापन

*1886. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पिपरी एवं चरौत प्रखंड में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का पद दो वर्षों से रिक्त है, फलतः कार्यों के निष्पादन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंडों में कबतक नये प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कूड़ा-कचड़ा पर रोक

*1887. श्री (डॉ०) रामानुज प्रसाद--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के फुलवारीशरीफ प्रखंडान्तर्गत वार्ड नं० 12 बेऊर मोड़ के पास स्थानीय दुकानदारों, कोल्ड स्टोरेज तथा छोटे-छोटे कारखानों से उत्सर्जित सड़ा-गला कूड़ा-कचरा फेंक दिया जाता है, जिसकी दुर्गंध से मुहल्लावासियों एवं उक्त रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान की साफ-सफाई कराकर कूड़ा-कचरा डालने पर रोक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*1888. श्री (मो०) आफाक आलम--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत श्रीनगर प्रखंड में सहकारिता बैंक की शाखा नहीं रहने के कारण किसानों को कृषि से संबंधित लोन के लिये 50 किलो मीटर दूर कसबा प्रखंड जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार श्रीनगर प्रखंड में सहकारिता बैंक की शाखा कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*1889. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड नं० 3 स्थित आर० सी० डी० पथ (शमी खान के घर के निकट) से भाया मास्टर रईसउद्दीन के घर होते हुये रेलवे लाइन किनारे तक सघन आवादी है एवं Discharge Water के बहाव हेतु बड़े आकार का नाला नहीं होने से जल-जमाव एक गम्भीर समस्या का रूपधारण कर चुका है, यदि हाँ, तो सरकार जल-निकासी हेतु ऊपर वर्णित स्थल पर कबतक, आर० सी० सी० नाला का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

दखल दिलाना

*1890. श्री अशोक कुमार सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत दुर्गावती प्रखंड के चहरिया पंचायत के मौजा कलहनुआ के थाना नं० 74 में चकबंदी का कार्य वर्ष 1985-86 में पूरा हो गया था तथा उक्त चकबंदी के आधार पर खतीयान भी बन गया है, परन्तु आजतक रैयतों का दखल-दहानी नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त रैयतों को चकबंदी के अनुरूप कबतक, दखल-दहानी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विकसित करना

*1891. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि फुटपाथ एवं छोटे-छोटे दुकानदारों की समस्याओं के निराकरण हेतु सरकार द्वारा सभी शहरों में वेंडिंग जोन बनाने का निर्णय तीन वर्ष पूर्व लिया गया है, जबकि मधुबनी शहर में अभीतक वेंडिंग जोन विकसित नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मधुबनी शहर में वेंडिंग जोन विकसित करने का विचार रखती है ?

दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई

*1892. श्री अचमित ऋषिदेव--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखंड के हरिपुरकला में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बसावट में सौर ऊर्जा चलित पम्प के साथ मिनी पाइप जलापूर्ति योजना की प्राक्कलित राशि 20.735 लाख रुपया का निर्माण कार्य की स्वीकृत्यादेश संख्या 6/ज0गु0-108/12-321, दिनांक 20 फरवरी, 2013 द्वारा कार्यकारी एजेंसी मेसर्स सूर्या इंटरनेशनल को एकरारनामा संख्या एस0 बी0 डी0 -1/2015-16 द्वारा 4 दिसम्बर, 2015 से कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसे 3 दिसम्बर, 2016 तक कार्य समाप्त कर जलापूर्ति प्रारंभ कराना था, जबकि अबतक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं कराने वाले दोषी पदाधिकारी एवं एजेंसी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुक्त कराना

*1893. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के गोरेया कोठी प्रखंड के मुस्तफाबाद बाजार पर साढ़े तीन एकड़ सरकारी जमीन को पच्चीस वर्ष पूर्व अवैध रूप से कब्जा कर 52 एकमंजिला-दुमंजिला दुकान बनायी गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुस्तफाबाद बाजार की सम्पत्ति करीब बीस करोड़ रुपये का है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक ?

पानी का व्यवस्था करना

*1894. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत रोहतास प्रखण्ड के रोहतास ग्राम पंचायत के 35 गाँव तथा नौहट्टा प्रखण्ड के पिपरडीह पंचायत के 35 गाँव कुल 70 गाँव कैमूर पहाड़ी पर अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गर्मी के दिनों में इन सभी गाँवों के कुँए सुख जाते हैं, चापाकल टंग जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पहाड़ी पर अवस्थित दोनों पंचायतों में जलमीनार बनाकर पीने के पानी का व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई

*1895. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के कोटवा सहित अन्य प्रखण्डों में 30 प्रतिशत जाली राशन कार्ड पर प्रतिमाह राशन का उठाव होता है, यदि हाँ, तो सरकार कोटवा सहित पूर्वी चम्पारण में जाली राशन कार्ड की जाँच कराकर दोषियों को चिन्हित कर शीघ्र कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*1896. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत मनिहारी नगर पंचायत के मनिहारी में क्रांति चौक से मनिहारी घाट तक की सड़क बिल्कुल जर्जर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार बनाना

*1897. श्री (मो0) तौसीफ आलम--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत टेढ़ागाछी प्रखण्ड मुख्याल में स्थानीय लोगों को आयरन मुक्त पानी हेतु वर्ष 2010 में जलमीनार का निर्माण कार्य शुरू हुआ तथा वर्ष 2013 में ही जलापूर्ति चालू कर देना था, परन्तु कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अर्द्धनिर्मित जलमीनार का कार्य पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सूचना देना

*1898. श्री (मो0) नवाज आलम--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत आरा प्रखण्ड क्षेत्र में कृषि से संबंधित जानकारी के लिये आरा रमना मैदान में सिर्फ कृषि यंत्रों का स्टॉल प्रतिमाह लगाया जाता है, जिसकी जानकारी आरा प्रखण्ड के किसानों को नहीं पहुँचाया जाता है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

नगरपालिका का दर्जा देना

*1899. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के प्रखण्ड वसंतपुर के पंचायत वसंतपुर की जनसंख्या 20,000 है तथा इनमें 80% व्यापार करने वाले लोग है, जो नगरपालिका बनने की सभी शर्तें पुरा करता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पंचायत वसंतपुर को नगरपालिका का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*1900. श्री विजय कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत उत्तरी मंदिरी में काली मंदिर के बगल से द्वारिका विद्यालय की ओर जानेवाली सड़क का अतिक्रमण किये जाने के कारण सड़क बहुत ही संकीर्ण हो गया है, जिससे आवागमन में भारी दिक्कत होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क को कबतक अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पथ का निर्माण

*1901. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत अंचल ताजपुर मौजा बाघी वार्ड नं०-4 (दलित टोला) में मुख्य सड़क से राम ललित दास, के घर तक यातायात हेतु सम्पर्क-सह-पहुँच पथ नहीं होने से आमलोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार ऊपर वर्णित टोला में सम्पर्क-सह-पहुँच पथ का कबतक निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

बस पड़ाव बनाना

*1902. श्रीमती भागीरथी देवी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेतिया जिलान्तर्गत प्रखण्ड रामनगर में बस पड़ाव नहीं होने के कारण सड़क पर बस एवं गाड़ियों के लगने से हमेशा जाम की स्थिति रहती है, यदि हाँ, तो उक्त प्रखण्ड में बस पड़ाव बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वासगीत पर्चा निर्गत करना

*1903. श्री रत्नेश सादा--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के दानापुर प्रखंड के ग्राम-शबरीनगर, पोस्ट-सहायनगर में 200 भूमिहीन अनुसूचित जाति समुदाय के परिवार गैर मजरूआ जमीन पर 45 वर्षों से बसे हुये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि न्यायालय अंचलाधिकारी, दानापुर, पटना के गृ०स्था०यो०भू०बन्दो० वाद संख्या 4/2001-2002 एवं वाद संख्या 5/2001-2002 में उक्त परिवारों को चार-चार डिसमील बसे हुये गैर-मजरूआ आम भूमि का बंदोबस्त कर घर का वासगीत पर्चा निर्गत करने का आदेश दिया गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त परिवारों को आजतक वासगीत पर्चा निर्गत नहीं करने का क्या औचित्य है ?

औचित्य बताना

*1904. श्रीमती सावित्री देवी--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिला के चकाई विधान-सभा क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में चकाई प्रखंड के 25 मत्स्य पालकों से जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा नये तालावों के निर्माण हेतु आवेदन माँगा गया लेकिन आजतक एक भी मत्स्य पालन तालाब का निर्माण नहीं किया गया है और राशि भी बिना वितरण के वापस कर दी गयी है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

दोषी के विरुद्ध कार्रवाई

*1905. श्री मिथिलेश तिवारी--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले के बैकुण्ठपुर प्रखण्ड के अन्तर्गत सिरसा मानपुर पंचायत के मृत किसानों के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कर डीजल अनुदान की राशि का गबन विभागीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से वर्ष 2014-15 में किया गया है, जिसकी शिकायत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैकुण्ठपुर के समक्ष जनवरी, 2017 में की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में डीजल अनुदान के मद में विभाग द्वारा उक्त पंचायत के 450 किसानों के लिये 1,44,000/- लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, यदि हाँ, तो क्या सरकार अविलम्ब इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषी कर्मियों को दण्डित करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

पथ एवं नालियों का निर्माण

*1906. श्री आनन्द शंकर सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद नगर परिषद् के वार्ड नं०-5 में बब्लू सिंह के घर से शशि सिंह के घर तक पथ एवं नाली एवं वार्ड संख्या-3, रोड नं०-1 में होली क्रॉस स्कूल से ज्वाला सिंह के घर तक पथ एवं नाली नहीं होने से जल-जमाव के कारण निवासियों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पथों एवं नालियों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*1907. श्री लक्ष्मेश्वर राय--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लौकही प्रखण्ड मुख्यालय में गोदाम का निर्माण राष्ट्रीय योजना गारंटी कार्यक्रम के तहत वर्ष 1995 में ही किया गया था, परन्तु अभीतक छत का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे गोदाम की उपयोगिता नहीं रह गई है, यदि हाँ, तो सरकार गोदाम के छत का निर्माण कबतक कराने एवं उदासीनता बरतने वाले दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1908. श्री सुरेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत औराई प्रखण्ड स्थित डीह जीवर पंचायत के पशु चिकित्सा केन्द्र का भवन अत्यधिक जर्जर होने से चिकित्सकीय कार्य बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पशु चिकित्सा केन्द्र के नये भवन का कबतक निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शीत घर स्थापित करना

*1909. श्री रामविलास पासवान--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखण्ड में एक भी शीत घर (कोल्ड स्टोरेज) नहीं रहने के कारण यहाँ के किसानों को आलू एवं प्याज की अच्छी उत्पादन के बावजूद काफी नुकसान उठाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार पीरपैंती प्रखण्ड में कबतक एक शीत घर (कोल्ड स्टोरेज) खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

*1910. श्री राम बालक सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के चितकोहरा पुल के नीचे अतिक्रमण के कारण लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक चितकोहरा पुल के नीचे अतिक्रमण मुक्त कर आम लोगों के लिये यातायात सुलभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शवदाह गृह चालू कराना

*1911. श्री विजय कुमार विजय--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के मुंगेर शहर में निर्मित विद्युत् शवदाह गृह 1(एक) साल से खराब होने के कारण बन्द है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त शवदाह गृह कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 16 मार्च, 2017 (ई0) ।

राम श्रेष्ठ राय,
सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि0 स0 मु0 (एल0 ए0), 126--डी0 टी0 पी0--500